अंत्योदय परिवारों के लिए 7 किलो प्रति व्यक्ति: NFSA संशोधन

अर्थव्यवस्था और पॉलिटी, कल्याणकारी अधिकार एवं खाद्य सुरक्षा | समाचार संदर्भ: 24 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

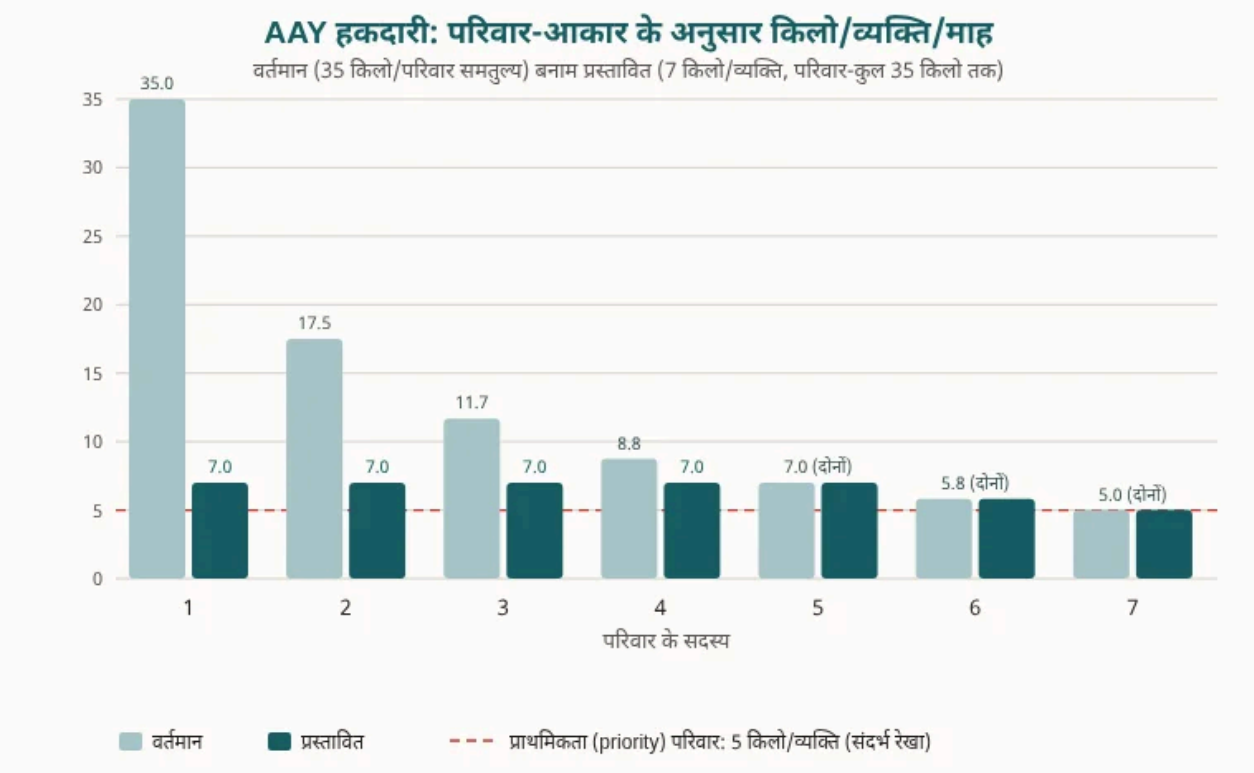
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में संशोधन का मसौदा जारी किया है जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत 'प्रति परिवार 35 किलो' की समतुल्य (flat) हकदारी बदलकर 'प्रति व्यक्ति 7 किलो, अधिकतम 35 किलो प्रति परिवार' करने का प्रस्ताव है। सरकार इसे 'वर्ग-अंतर्गत असमानता' दूर करने का तर्क देती है; इस फार्मूले से एक से चार सदस्यीय परिवारों का कुल कोटा घटता है, जबकि पाँच या अधिक सदस्यों वाले परिवारों का कुल कोटा 35 किलो ही रहता है।

खबरों में क्यों

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने 24 जून 2026 को मसौदा संशोधन अपनी वेबसाइट पर डाला और 13 जुलाई 2026 तक जन-सुझाव माँगे। मसौदे के अनुसार NFSA की धारा 3 में नया प्रावधान जुड़ेगा: AAY परिवार का हर सदस्य प्रति माह 7 किलो खाद्यान्न का हकदार होगा, पर परिवार-कुल 35 किलो से अधिक नहीं; मसौदा इसे अनुसूची I में निर्दिष्ट कीमतों से जोड़ता है; मौजूदा मुफ्त-वितरण नीति अलग है। अभी नियम है — 35 किलो प्रति AAY परिवार, सदस्य-संख्या निरपेक्ष। द हिंदू (26 जून) और इकनॉमिक टाइम्स (25 जून) ने विस्तृत विश्लेषण छापा। यह जून-जुलाई 2026 में सुझाव-चरण का मसौदा था। 17 अक्टूबर 2026 की सीमित जाँच में संसद में विधेयक प्रस्तुत या पारित होने का प्रमाण नहीं मिला; अगस्त 2026 के विश्लेषण भी इसे प्रस्तावित मसौदा ही मानते हैं। अंतिम स्थिति की पुष्टि हेतु संसद/विभाग की अधिसूचना ही प्रमाण मानें।

तार्किकता: 'वर्ग-अंतर्गत असमानता' क्या है?

विभाग की अधिसूचना कहती है: वर्तमान परिवार-आधारित हकदारी परिवार के आकार के हिसाब से असमान प्रति-व्यक्ति वितरण देती है — छोटे परिवार को प्रति व्यक्ति अधिक, बड़े परिवार को इतना कम कि वह प्राथमिकता (priority) परिवार के प्रति-व्यक्ति 5 किलो से भी नीचे चला जाता है। उदाहरण: 6 सदस्यीय AAY परिवार को आज 35/6 ≈ 5.8 किलो प्रति व्यक्ति, 7 सदस्यीय को 5 किलो — यानी सबसे गरीब वर्ग में बड़ा परिवार होना दंड बन जाता है। प्रस्तावित फार्मूला 5 सदस्य तक के परिवार को पूर्ण 7 किलो/व्यक्ति देता है; 6+ सदस्यीय परिवार 35 किलो की सीमा पर ही रह जाता है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य

मौजूदा ढाँचा: NFSA 2013 धारा 3: AAY परिवार को 35 किलो/माह प्रति परिवार (TPDS के तहत निर्धारित मूल्य पर; जनवरी 2023 से केंद्र की घोषणा के अनुसार मुफ्त), प्राथमिकता परिवारों को 5 किलो/व्यक्ति/माह। कवरेज: ग्रामीण 75%, शहरी 50% जनसंख्या।

प्रस्तावित संशोधन: धारा 3 में नया प्रावधान: AAY के प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलो/माह, परंतु परिवार-कुल अधिकतम 35 किलो। मसौदा दोनों प्रावधानों में अनुसूची I की कीमतों का उल्लेख करता है; यह अपने-आप मुफ्त हकदारी संहिताबद्ध नहीं करता।

सरकारी तर्क: अधिसूचना: वर्ग-अंतर्गत असमानताएँ दूर करना, अधिक तार्किक खाद्यान्न आवंटन, हकदारी को पोषण-आवश्यकताओं से बेहतर संरेखित करना।

आलोचना: केरल के खाद्य मंत्री अनूप जैकब ने केंद्र को पत्र लिखने की बात कही — 35 किलो/परिवार जारी रहना चाहिए, बदलाव से केरल जैसे राज्यों का आवंटन घटेगा। Right to Food Campaign के कार्यकर्ताओं ने भी चिंता जताई: 6+ सदस्यीय AAY परिवारों (अक्सर सबसे वंचित) को कोई लाभ नहीं, और 35 किलो की सीमा कायम रखने का अर्थ है कि प्रति-व्यक्ति लाभ बड़े परिवारों तक पहुँचेगा ही नहीं।

प्रक्रिया और समयरेखा: जन-सुझाव 13 जुलाई 2026 तक माँगे गए थे; उस-समय की योजना के अनुसार ताज़ा मसौदा राज्यों/विभागों के पास, फिर संसद जाना था। द हिंदू (26 जून 2026) के तत्कालीन विश्लेषण के अनुसार मानसून सत्र 2026 में आने की संभावना कम थी; उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव नज़दीक होने से सरकार के सावधान कदम रखने का अनुमान था। 17 अक्टूबर 2026 की सीमित जाँच में मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तुत होने का प्रमाण नहीं मिला।

AAY क्या है: 2000 में शुरू — सबसे गरीब परिवारों ('अंत्योदय') के लिए सबसे अधिक सब्सिडी वाला TPDS वर्ग; 2013 से NFSA के अंतर्गत वैधानिक।

यह संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है

अधिकार-आधारित कल्याण का पुनर्डिज़ाइन: NFSA भारत का प्रमुख अधिकार-आधारित (rights-based) कल्याण कानून है। हकदारी-फार्मूले में बदलाव करोड़ों परिवारों की खाद्य सुरक्षा को सीधे छूता है — और 'समानता बनाम पर्याप्तता' का संवैधानिक-नीतिगत प्रश्न खड़ा करता है।

गरीबी की परिवार-आकार विमा: सर्वेक्षण-साक्ष्य बताते हैं कि बड़े परिवार औसतन गरीब होते हैं; प्रति-व्यक्ति हकदारी इस वास्तविकता के अनुकूल है। पर 35 किलो की सीमा (cap) के कारण 6+ सदस्यीय परिवारों की कुल हकदारी नहीं बढ़ती; साथ ही एक से चार सदस्यीय परिवारों की कुल हकदारी घटती है। इसलिए परिवार-आकार के अनुसार प्रभाव अलग-अलग परखें।

संघीय पहल: खाद्यान्न आवंटन केंद्र-राज्य साझेदारी है; राज्यों (केरल) का विरोध दिखाता है कि केंद्रीय फार्मूला-बदलाव राज्यों की अतिरिक्त-सब्सिडी व्यवस्था और बजट पर असर डालता है।

मुफ्त बनाम सब्सिडी-मूल्य: जनवरी 2023 से मुफ्त अनाज वितरण की नीति और अधिनियम के मूल्य-प्रावधान अलग रखें। मसौदा AAY की हकदारी को अनुसूची I में निर्दिष्ट कीमतों से जोड़ता है; इससे मुफ्त वितरण का वैधानिक संहिताकरण सिद्ध नहीं होता।

विश्लेषण और आगे की राह

मौजूदा 35 किलो प्रति परिवार के प्रावधान में एक-सदस्यीय परिवार को 35 किलो प्रति व्यक्ति और सात-सदस्यीय को 5 किलो मिलता है। प्रस्तावित 7 किलो प्रति व्यक्ति, अधिकतम 35 किलो के फार्मूले में एक, दो, तीन और चार सदस्यीय परिवारों को कुल 7, 14, 21 और 28 किलो मिलेगा, जो वर्तमान 35 किलो से कम है। पाँच सदस्यीय परिवार को 35 किलो और छह या अधिक सदस्यों वाले परिवार को भी अधिकतम 35 किलो मिलेगा, इसलिए इनकी कुल हकदारी अपरिवर्तित रहेगी। छह सदस्यों पर प्रति व्यक्ति लगभग 5.83 किलो और सात पर 5 किलो की सीमा बनी रहेगी। इसलिए मूल्यांकन में छोटे परिवारों का कोटा घटने और बड़े परिवारों की अपर्याप्तता दोनों को रखें। सीमा बढ़ाने या हटाने, परिवार-परिभाषा, राशन कार्ड अद्यतन और राज्यों की अतिरिक्त हकदारी पर परामर्श उपयोगी होगा। राजकोषीय प्रभाव अलग से आँकें; मसौदे में अनुसूची I के मूल्य-प्रावधान को मुफ्त अनाज का नया वैधानिक अधिकार न मानें।

अवधारणा में अंतर

मसौदा संशोधन (draft amendment) बनाम अधिनियमित संशोधन: यह DFPD का सुझाव-चरण मसौदा है (जून-जुलाई 2026)। यह तुलना उस समय लागू NFSA 2013 प्रावधानों (35 किलो/परिवार) और मसौदे की है; इसे अंतिम संशोधन या वर्तमान कानूनी स्थिति का प्रमाण न मानें। 17 अक्टूबर 2026 की सीमित जाँच में विधेयक के संसद में प्रस्तुत/पारित होने का प्रमाण नहीं मिला; अंतिम स्थिति हेतु संसद/विभाग की अधिसूचना देखें। AAY बनाम प्राथमिकता (priority) परिवार: AAY सबसे गरीब वर्ग (वर्तमान 35 किलो/परिवार), प्राथमिकता वर्ग 5 किलो/व्यक्ति पाता है — प्रस्तावित 7 किलो/व्यक्ति AAY को प्राथमिकता वर्ग से स्पष्ट रूप से ऊपर रखता है, पर 6+ सदस्यीय AAY परिवार प्रति-व्यक्ति दृष्टि से प्राथमिकता-स्तर पर लौट आते हैं।

मेंस दृष्टि

GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, खाद्य सुरक्षा, संघीय ढाँचा, नीति-निर्माण में जन-भागीदारी (pre-legislative consultation)। GS-III: खाद्य प्रसंस्करण/वितरण, सब्सिडी-सुधार, गरीबी उन्मूलन। निबंध/नैतिकता: समानता बनाम पर्याप्तता, कल्याण-राज्य की सीमाएँ।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

NFSA (संशोधन) मसौदा, 2026 में AAY हकदारी को प्रति-परिवार से प्रति-व्यक्ति आधार पर लाने का प्रस्ताव 'वर्ग-अंतर्गत असमानता' दूर करने का प्रयास है। 35 किलो प्रति परिवार की ऊपरी सीमा को बनाए रखने के संदर्भ में इस प्रस्ताव की सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: NFSA 2013/AAY ढाँचा और 24 जून 2026 मसौदा (सुझाव 13 जुलाई तक)।

मुख्य भाग में: प्रस्ताव: 7 किलो प्रति व्यक्ति, परिवार-कुल अधिकतम 35 किलो। वर्तमान 35 किलो प्रति परिवार से तुलना: 1-4 सदस्यों को कुल 7/14/21/28 किलो, अर्थात कमी; 5 सदस्यों को 35 किलो, यथास्थिति; 6+ सदस्य भी 35 किलो पर सीमित, इसलिए बड़े परिवारों की प्रति-व्यक्ति अपर्याप्तता बनी रहती है। सरकार का असमानता-निवारण तर्क इन अलग प्रभावों के साथ जाँचें; सीमा बढ़ाने/हटाने, राज्य-परामर्श और राशन कार्ड अद्यतन पर विचार करें। मुफ्त वितरण की नीति तथा मसौदे के अनुसूची I मूल्य-प्रावधान अलग रखें।

निष्कर्ष में: परिवार-आकार के आधार पर समानता और पर्याप्तता दोनों परखें। एक से चार सदस्यीय परिवारों का कोटा घटने और बड़े परिवारों की हकदारी न बढ़ने को राज्य-परामर्श में रखें; सीमा, परिवार-परिभाषा और कार्ड-अद्यतन की समीक्षा सुझाएँ। प्रस्ताव को अंतिम कानून और अनुसूची I मूल्य-प्रावधान को मुफ्त अनाज का स्वतः वैधानिक संहिताकरण न मानें।

स्रोत

- NFSA (Amendment) Bill, 2026 — मसौदा प्राथमिक पाठ (PRS)
- The Hindu Explained: NFSA संशोधन पर बहस (26 जून 2026)

जाँच-टिप्पणी: संशोधन-मसौदे का प्राथमिक पाठ (धारा 3 प्रस्तावित प्रावधान, सारणीबद्ध विवरण) पढ़कर सत्यापित। राजकोषीय-सब्सिडी आंकड़ा (~2 लाख करोड़) सामान्य संदर्भ है, इस मसौदे का हिस्सा नहीं।

यह भी पढ़ें: VB-G RAM G अधिनियम 2025: MGNREGA के स्थान पर नया कल्याण ढाँचा | अल-नीनो और खाद्य महँगाई: मौसम, बाज़ार और नीति।

याद रखें: 7 किलो/व्यक्ति और अधिकतम 35 किलो के प्रस्ताव में 1-4 सदस्यीय परिवारों का कुल कोटा घटता है; पाँच या अधिक सदस्यों वाले परिवारों का कुल कोटा 35 किलो ही रहता है। मसौदे का अनुसूची I मूल्य-प्रावधान मुफ्त वितरण की नीति से अलग है।